संख्या– /xxxvi(1)एक/07–139–एक/2002

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 27 जुलाई, 2007

विषय– जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की वर्ष 2007–2008 हेतु निरन्तरता ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 1901 यू0एच0सी0/एडमिन बी0/ सी0 ओ0एन0 टी0/2007 दिनांक 19 जून, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के न्यायालय हेतु सृजित पदों के कार्यकाल की वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों पर यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2006–2007 में दिनांक 1–3–2006 से 28–2–2007 तक बढाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति एंव वर्ष 2007–2008 में दिनांक 1–3–2007 से 29–2–2008 तक चलते रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । प्रश्नगत न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या– 38–एक(1)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 22 जुलाई, 2003 द्वारा किया गया था ।

2. उक्त पैरा –1 पर होने वाला व्यय गत वित्तीय वर्ष 2006–07 व वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 के बजट अनुदान संख्या–04 के लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–105–सिविल और सेशन्स न्यायालय–06–रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय–00" के नामे डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 723एन0पी0/वित्त अनुभाग–5/2007 दिनांक 24 जुलाई, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्या–3512(1)/xxxvi(1)एक/07–139–एक/2002समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा , देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3. वित्त अनुभाग–5/नियुक्ति अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,

H.C.